न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, बेगूसराय।

आदेश

वर्तमान में जिले में चल रही शीतलहर और विशेषकर सुबह और शाम के समय में कम तापमान की स्थिति के फलस्वरूप बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः मैं **श्रीकांत शास्त्री, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, बेगूसराय** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–163 के तहत बेगूसराय जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश देता हूँ कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे।

- कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी/निजी विद्यालय (प्री–स्कूल, ऑगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में दिनांक–22.12.2025 से 24.12.2025 तक शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी।
- विद्यालयों में कक्षा 8वीं के बाद की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक शीतलहर के दृष्टिगत् पूरी सावधानी के साथ संचालित किया जाय।
- मिशन दक्ष एवं प्री–बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
- सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के बीच सिर्फ बच्चों को पके हुए भोजन उपलब्ध कराने हेतु खोले जाय।

इस आदेश का अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, बेगूसराय सुनिश्चित करायेंगे।

यह आदेश दिनांक–20.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर से निर्गत किया गया।

जिला दण्डाधिकारी,
बेगूसराय।

ज्ञापांक–2073/विधि, दिनांक–20.12.25,

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय/नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय/उप विकास आयुक्त, बेगूसराय/अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० बेगूसराय/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/तेघड़ा/बलिया/मंझौल/बखरी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर–01/सदर–02/तेघड़ा/बलिया/मंझौल/बखरी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बेगूसराय/ सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेगूसराय/ जिला सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
बेगूसराय।

COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE * BEGUSARAI, BIHAR *

2025010